प्ररूप सं. 29ख

[नियम 40ख *देखिए*]

कंपनी के बही लाभों की संगणना करने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जख के अधीन रिपोर्ट

1. मैंने/हमने* 31 मार्च, ... को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बही लाभ निकालने के लिए .... के कारबार

[कारबार की प्रकृति]

में लगे .... के लेखाओं

[निर्धारिती का नाम और पता स्थायी खाता संख्यांक सहित]

और अभिलेखों की परीक्षा की है।

2. (*क*) †मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि बही-लाभ की संगणना, इस धारा के उपबंधों के अनुसार की गई है। निर्धारण वर्ष .... के संबंध में आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन संदेय कर .... रु. है, जिसे इस प्ररूप के उपाबंध क में दिए गए ब्यौरों के आधार पर अवधारित किया गया है।

3. मेरी/हमारी* राय में और मेरी/हमारी* सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे/हमें* दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपाबंध क में दी गई विशिष्टियां सही और ठीक हैं।

तारीख : ....

....

हस्ताक्षरित

†*लेखापाल* ....

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो, उसे काट दें।

2. †यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है :-

(*i*) चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थांतर्गत किसी चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा; या

(*ii*) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन किसी राज्य के संबंध में उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने का हकदार है।

3. जहां इस रिपोर्ट में उल्लिखित किसी विषय का उत्तर नकारात्मक या किसी अर्हता (शर्त) के साथ दिया जाता है तो रिपोर्ट में उसके कारण बताए जाएंगे।

उपाबंध क

[पैरा 31 *देखिए*]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जख के प्रयोजनों के लिए बही लाभ की संगणना से संबंधित ब्यौरे

1. निर्धारिती का नाम ....

2. पते की विशिष्टियां ....

3. स्थायी खाता संख्यांक ....

4. निर्धारण वर्ष ....

5. आय-कर अधिनियम के अधीन कंपनी की कुल आय ....

6. कुल आय पर संदेय आय-कर ....

7. क्या लाभ और हानि लेखा, कंपनी अधिनियम, 1965 (1956 का 1) की अनुसूची 6 के भाग 2 और 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है — हाँ /नहीं

8. क्या ऊपर स्तंभ-7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ-हानि लेखा तैयार करने संबंधी वही लेखाकर्म नीतियों,लेखा मानकों का और अवक्षयण का परिकलन करने संबंधी दरों की उसी पद्धति का अनुसरण किया गया है, जो कंपनी के वार्षिक साधारण अधिवेशन में उसके समक्ष रखे गए

लेखाओं को तैयार करने के लिए अपनाई गई है? यदि नहीं तो अंतर की सीमा और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें	हाँ /नहीं
9. ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा के अनुसार शुद्ध लाभ	....
10. इस धारा की उपधारा (2) के *स्पष्टीकरण* के खंड (क) से (च) में निर्दिष्ट रकमों से बढ़ाए गए अनुसार लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित शुद्ध लाभ की रकम (जहां अपेक्षित हो, अलग से गणना करते हुए फाइल करें)	....
11. इस धारा की उपधारा (2) के *स्पष्टीकरण* के खंड (*i*) से (*ii*) में निर्दिष्ट रकमों से घटाए गए अनुसार मद 10 में निर्दिष्ट रकम (जहाँ अपेक्षित हो, अलग से गणना करते हुए फाइल करें)	....
12. उपधारा (2) में दिए *स्पष्टीकरण* के अनुसार यथासंगणित बही लाभ	....
13. ऊपर स्तंभ 12 में संगणित ''बही लाभ'' का 7.5%	....
14. यदि क्र.सं. 6 में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा संदेय आय-कर स्तंभ 12 में दर्शित उसके बही लाभ के साढ़े-सात प्रतिशत से कम है तो कंपनी द्वारा संदेय आय-कर की रकम, स्तंभ 12 का अर्थात् स्तंभ 13 के अनुसार 7.5% होगी	....